अध्याय-प्रथम

शोध परिचय

अध्याय–प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना–

बच्चे का भाषाज्ञान उसके संपूर्ण विषयों की उन्नति अथवा अवनति को प्रभावित करता हैं। हिन्दी भाषा में उपेक्षित योग्यता प्रदर्शित करनेवाला विद्यार्थी अन्य विषयों में भी संतोषजनक प्रगति प्रदर्शित करता दिखाई देता है वही कमजोर विद्यार्थी अन्य विषयों में पिछडता चला जाता हैं। फलस्वरूप उसमें आत्मविश्वास की न्यूनता एवं निराशा की भावना घर कर लेती है जो उसकी शैक्षिक प्रगति में बाधक बनती है। उसकी सर्वांगिण उन्नति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भाषाज्ञान की संपन्नता मेरूदण्ड की तरह जीवन के प्रत्येक मोड़ पर विद्यार्थी की प्रतिष्ठा रक्षा में सहायक सिद्ध होती है।

1.2 भाषा का विकास–

भाषा का अभिप्राय प्रक्रियाओं से गहरा संबंध है। भाषा संपूर्ण प्रक्रिया में से एक अद्‌भूत खोज है, भाषा की अत्यावस्था अप्रत्यक्ष सत्ता के समान हैं। अधिगम में होने वाली त्रुटियाँ भाषा के कारण होती हैं।

ब्रिटनिका विश्वकोश के अनुसार "भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मान्य व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते है।"

भाषा के बिना विचार–विनिमय संभव नहीं है। यदि हम कुछ सीखना चाहते है तो उसके लिए भी भाषा का अपना

महत्वपूर्ण स्थान है। मैंक ग्रण्डी (1986, पेज 226) के अनुसार भाषा अधिगम कम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली आज पुनर्रचना के दौर में है। उसका उद्देश्य मात्र दर्जे पर बढ़ाना बढ़ना रह गया है,कक्षा की शैक्षिक सामग्री को आत्मसात करना नहीं। यह तथ्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से और भी देखने को मिलता है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के गहन करने के पश्चात् भी बालक के पढ़ने, लिखने तथा गणना की मूलभूत योग्यताओं का विकास नहीं हो पाता जो बालक की भावी शैक्षिक प्रगति में बाधक है। यही भारतीय शिक्षा का सबसे दुर्बलतम् पक्ष हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थिति ने शिक्षा को एक दुरोह पर ला खड़ा किया है। अब न तो अब तक होते आये सामान्य विस्तार से और न ही सुधार के वर्तमान तौर-तरीको या रफ्तार से काम चलेगा। (अनु.19)

समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिए सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध करवाना ही पर्याप्त नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था होना भी आवश्यक है, जिससें सभी को शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश प्राप्त करने में समान अवसर मिलें। (अनु.3.6)

प्रत्येक चरण पर दी जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर तय किया जायेगा। (अनु.3.9)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्धृत किये गये सुझावों से स्पष्ट है कि हमारी शिक्षा में सुधार करना आवश्यक हैं। किसी भी भाषा को सीखने के चार चरण हैं, क्रमशः सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनका एक-दूसरे से घनिष्ठ संबंध है।

अखिल भारतीय भाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग की परम्परा है। शताब्दियों से यह जनसंपर्क की, शिक्षाज्ञान, विज्ञान, साहित्य सृजन, संगीत, नाट्य आदि की अभिव्यक्ति की भाषा रही है। इसलिए इसे भारतीय संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। द्वितीय भाषा, हिन्दी भाषा, हिन्दी शिक्षण के पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भाषा के चार कौशलो, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना को विकसित करना आवश्यक हैं।

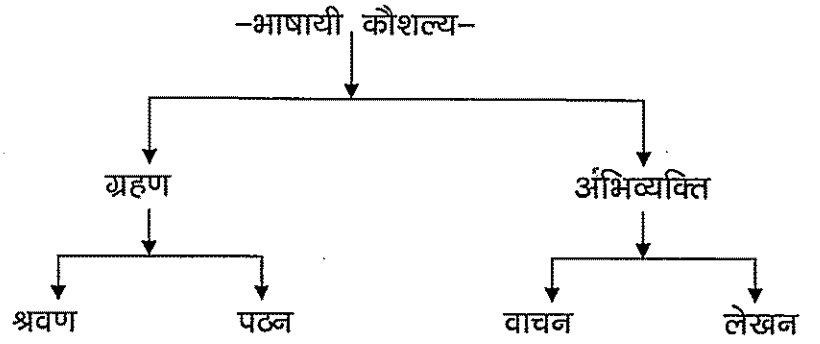

1.3 द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व–

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का विशेष महत्व हैं। संवैधानिक दृष्टि से वह भारत की राजभाषा है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा इन राज्यों की तो यह मातृभाषा हैं। देश के अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक आदि इन अहिन्दी राज्यों में यह द्वितीय भाषा के रूप में कक्षा 5 से पढ़ाई जाती है। हिन्दी हमारे देश में युग–युग से विचार–विनिमय का माध्यम रही है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नही बल्कि दक्षिण भारत के प्राचीन आचार्यो, बल्लभाचार्य, विठ्ठल, रामानुज, आदि ने भी इस भाषा के माध्यम

से अपने सिद्धांतो और मतों का प्रचार किया है। अहिन्दी भाषी राज्यों के सन्त कवियों आसाम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के नामदेव और ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसी मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया।

सन् 1949 ई. को दिल्ली अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद् में एक बंगाली विद्वान श्री क्षेमश्चंन्द्र चट्टोपाध्याय ने अपने भाषण में कहा कि– "संसार की ऐसी कोई भी भाषा नही जिसकी कोई अपनी विशेषता न हो। उसकी यह विशेषता ही अन्य भाषा–भाषियों के लिए उलझन बन जाती है। हमारी बंगाल भाषा में ही ऐसी चीज है जो अन्य भाषा–भाषियों के लिए कठिन समस्यायें है। वे लोग इन बारिकियों को समझे बिना जब बंगला भाषा लिखते–बोलते है, तब हम लोंगो को हँसी आती है, परन्तु हिन्दी बहुत सरल भाषा है। बिना पढ़े और सीखे यह कामचलाऊ हो जाती है। ऐसी कामचलाऊ भाषा तो साधारण होगी ही इसमें लिंग संबंधी तथा अन्य गलतियाँ पर काम सबका चल जाता है। परन्तु उत्तम टकसाली हिन्दी लिखने–बोलने के लिए तो हिन्दी सीखनी होगी। यदि हिन्दी पढ़ने लिखने में दो वर्ष भी अच्छी तरह लाये जाए तो किसी भी हिन्दी भाषी के सामने कोई कठिनाई न रहेंगी।"

हिन्दी का संपर्क भाषा के रूप में महत्व यह है कि जब दो या अधिक भाषायी लोग एकत्र आते है, तब वे अपना सम्प्रेषण हिन्दी भाषा के द्वारा करते हैं। और यह हम उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक दिखाई देता है।

उच्च ज्ञान प्राप्त करने हेतु भी द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व हैं। हिन्दी साहित्य के महान इतिहास का ज्ञान,

हिन्दी भाषा की संरचना का ज्ञान, साहित्यकारो, काव्य–शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिन्दी का महत्व है।

1.4 माध्यमिक स्तर पर हिन्दी शिक्षण–

शिक्षा के विभिन्न स्तरों में से प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी भाषा का ज्ञान विद्यार्थी के अपने रूचि, योग्यता, शिक्षक की शिक्षण कुशलता पर आधारित होता है। जिस क्रिया द्वारा विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा से संबंधित भाषा कौशलों में प्रवीणता प्रदान करके उसके चिन्तन तथा अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है तथा जीवन से संबंधित किसी भी विषय का अध्ययन करने का सामर्थ्य विकसित किया जाता है। उसे ही हिन्दी शिक्षण कहा जाता हैं।

हिन्दी तथा अहिन्दी भाषा प्रदेशों में हिन्दी के शिक्षण में पर्याप्त अंतर है। पिछली शताब्दी तक बहुभाषी होना व्यक्ति की सांस्कृतिक संपन्नता का घोतक था, किन्तु आज की स्थिति सर्वथा भिन्न है, अब वह एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गई है। इक्किसवी शताब्दी में द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में भाषा की जानकारी के इस लक्ष्य परिवर्तन को समझना अत्यावश्यक है। आज हम एक दो प्रमुख भाषाओं की जानकारी केवल इसलिए नही करना चाहते कि अन्य भाषा–भाषी व्यक्तियों के जीवन को व्यापक स्तर पर समझे, उनके साथ हम जीवनगत उपलब्धियों का आदान–प्रदान कर सकें।

अहिन्दी भाषा शिक्षण का तात्पर्य किसी अन्य हिन्दी प्रदेश में मातृभाषा से भिन्न द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी सीखना। हिन्दी अपने देश की राष्ट्रभाषा हैं। हमारे देश में हिन्दी शिक्षण के दो रूप है एक तो हिन्दी भाषा–भाषी प्रदेशों में

मातृभाषा के रूप में (प्रथम भाषा) और दूसरे अहिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों में जिनकी मातृभाषा कुछ ओर है वहाँ भाषा के रूप में (द्वितीय भाषा)

1.5 हिन्दी भाषा में लेखन कौशल का महत्व-

किसी भी भाषा के सीखने के चार चरण जो क्रमशः सुनना, बोलना पढ़ना और लिखना है। इनका एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध हैं। इन चारों कौशलों का विकास क्रम में होता है। जैसे-बिना सुने बोला नही जा सकता। बोलने के लिए सुनना अत्यंत आवश्यक हैं। तत्पश्चात् वह पढ़ना एवं लिखना सिखता है। अतः इन चारों में से यदि पहले कौशल का विकास बच्चों में नही हो पाया, तो वह बाद के कौशल नही सीख सकता। सुनना व बोलना किसी भी भाषा को सीखने का पहला चरण है। इसलिए इसको प्राथमिक या निवेशी कौशल के नाम से जाना जाता है। तथा पठन व लेखन इनके फलस्वरूप ही विकसित होते है, अतः इन्हें द्वितीय या निर्गत कौशल की संज्ञा दी गई है।

बालक जन्म से कुछ दिनों में मातृभाषा सीख लेता है। अपने परिवार एवं समाज में रहकर मातृभाषा सीखता है। परन्तु द्वितीय भाषा बच्चे विशेष प्रयत्न द्वारा सीखते है। मातृभाषा एवं द्वितीय भाषा सीखने के लिए सर्वप्रथम अंतर यह है कि द्वितीय भाषा सीखने के लिए सर्वप्रथम पढ़ना एवं लिखना सीखते हैं। और उसके बाद उसका सुनना और बोलना सीखते है। इस प्रकार वार्तालाप के जिस कौशल को मातृभाषा ने सर्वप्रथम स्वाभाविक रूप से सीख लिया जाता है उसे द्वितीय भाषा में सीखने के लिए अंतिम चरण में सप्रयत्न सीखा जाता है।

लेखन कौशल –

श्रीमती मांतेसरी के मतानुसार लेखन केवल एक शारीरिक क्रिया हैं जिसमें बालकों को हाथों की गति–विधियाँ ही करनी पड़ती हैं। यह कार्य वाचन की अपेक्षा सरल है और उन्हें आनंद की प्राप्ति होती हैं। पढ़ने में बालकों को अक्षरों की आकृति का ज्ञान होना चाहिए परन्तु लिखने में अक्षरों की आकृति के ज्ञान के साथ उन अक्षरों की आकृति का ज्ञान होना चाहिए। परन्तु लिखने में अक्षरों की आकृति के ज्ञान के साथ उन अक्षरों को वैसा ही लिख सकने की क्षमता भी होनी चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि हाथ की उंगलियों की मांसपेशियों का यथोचित संतुलन यदि शब्दों का ध्यन्यात्मक परिचय बालकों को पहले से ही प्राप्त होगा, तो उनके लिए वाचन के सहारे लिखना, सीखना अधिक सुविधाजनक होगा। कई बार ऐसा हेाता है कि हम किसी भाषा को पढ़कर समझ तो सकते है, परन्तु उसमें लिख नही सकतें।

महत्व –

प्राचीन समय से ही भारत वर्ष में सुन्दर लेखन पर विशेष ध्यान दिया जाता हैं। अक्षर सुडौल हो सुन्दर हो इस पर विशेष बल दिया जाता था। न केवल प्राचीन काल में अपितु मध्यम काल में भी सुन्दर लेखन का बड़ा महत्व था।

बालकों को खेलना सीखने से पहले उनमें लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है तभी वे लेखन कार्य में रूचि लेंगे। बालक क्रियाशील होते हैं। हमे उनकी इस क्रियाशीलता को प्रोत्साहित करना चाहिए। बालकों को रंगीन चित्र अच्छे लगते हैं। हम बालको को भिन्न–भिन्न चित्रों की रूपरेखा देकर रंग भरने

को कह सकते है। बालक इस कार्य में बड़ी रूचि लेंगे। इसी प्रकार हम बालकों को देखी हुई वस्तुएँ पेन्सिल आदि द्वारा बनाने को कह सकते है। बालकों की इन रचनात्मक वृत्ति का उपयोग एक कुशल अध्यापक द्वारा अक्षर लेखन में कराया जा सकता है।

भाषा के जो भिन्न-भिन्न अंग हैः- जैसे बोलना और पढ़ना उनकी अपेक्षा लेखन का कार्य कठिन हैं। क्योंकि लिखते समय हाथ की मांसपेशियों के संतुलन की आवश्यकता पड़ती हैं। ठीक-ठीक लिखने के लिए यह आवश्यकता है कि बालक की आकृति का भली प्रकार से निरीक्षण करें और फिर वैसे ही अक्षर लिख सकने में समर्थ हो। बालकों की विद्यालयों में जो भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियाएँ होती है। उनका एक अंगो की मांसपेशियों में संतुलन स्थापित किया जाए। मांसपेशियों में संतुलन स्थापित होने के पश्चात् ही बालकों को प्रेरित किया जा सकता हैं।

1.6 लेखन की सामान्य त्रुटियाँ -

-मात्रात्मक त्रुटि
-बिन्दुगत त्रुटि
-विरामचिह्नों की त्रुटि
-योजक चिह्न की त्रुटि
-संयुक्ताक्षर की त्रुटि
-शब्दजोड़ की त्रुटि
-शब्दलोप की त्रुटि

संशोधन विधि -

- कक्षा में तथा विद्यालय के खाली समय में ही यथासंभव संशोधन कार्य पूरा कर लेना चाहिए। यदि इस पर संशोधन कार्य पूरा नही हो, तो शिक्षक रचना-पुस्तिकाएँ घर ले जाकर संशोधन कर सकता हैं।

- अशुद्धियाँ का संशोधन रचनात्मक दृष्टि से होना चाहिए। केवल लाल रंग के चिह्नों से काफी भर देना संशोधन नहीं है। इससे छात्र हतोत्साहित हो जाते हैं। अशुद्धि काटकर उसका शुद्ध रूप लिखना आवश्यक है।
- कुछ अशुद्धियाँ असावधानी के कारण होती है। उनका शुद्ध रूप छात्र को ज्ञात रहता हैं ऐसी अशुद्धियों की और केवल संकेत या प्रश्नसूचक चिह्न लगा देना ही यथेस्ट हैं। इनका संशोधन बालक स्वयं कर लेते हैं।
- कुछ ऐसी भी अशुद्धियाँ होती हैं। जिन्हें बालक भ्रमवश या विस्मरण के कारण कर देता है। ऐसी अशुद्धियों का भी केवल संकेत आवश्यक है, जिससे बालक स्वयं संशोधन कर लें।
- कठिन अशुद्धियों को संशोधित रूप अवश्य दे देना चाहिए।
- संशोधन के बाद देखना आवश्यक है कि बालक शुद्ध रूप का अभ्यास कर ले और पुरानी त्रुटियाँ न दोहराएँ। थामसन एवं वायर ने ठीक लिखा है कि वह संशोधन जो अशुद्धि करनेवाले को प्रभावी न करें समय का अपव्यय हैं।
- छात्रों पर स्वयं संशोधन के लिए नही छोड़ना चाहिए।
- विरामचिह्नों के सही प्रयोग का उल्लेख स्वयं कर लेना चाहिए।
- सर्व सामान्य त्रुटियों की सूची तैयार कर लेनी चाहिए और कक्षा में उन्हें क्रमायोजित रूप से बनाते हुए उनके संशोधनार्थ उचित अभ्यास देने चाहिए।
- व्यक्तिगत रूप से की जानेवाली त्रुटियों का संशोधन व्यक्तिगत छात्र को बता देना चाहिए।

❖ अन्य बातें –

1. अशुद्धियाँ असावधानी भ्रम तथा अज्ञानता के कारण होती है। इन तीनो कारणो से होने वाली अशुद्धियों का समुचित संशोधन आवश्यक हैं। असावधानी या भ्रम के कारण हुई अशुद्धि की और संकेत कर देना ही पर्याप्त है पर अज्ञानता के कारण होने वाली अशुद्धि का संशोधित रूप लिख देना चाहिए।

2. त्रुटियों के प्रति कभी भी उदासीनता नही दिखानी चाहिए, अन्यथा छात्रों को अशुद्ध लिखने की आदत पड़ जाती हैं।

3. त्रुटियों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तत्काल त्रुटि संशोधन से त्रुटियाँ बढ़ने नही पाती।

4. संशोधन की तीनो पद्धतियों का यथोचित प्रयोग करना चाहिए।

– सामुहिक संशोधन।

– छात्रों द्वारा परस्पर रचना–पुस्तिका बदलकर एवं दूसरे का संशोधन।

5. सामान्य त्रुटियों की सूची तैयार कर भाषा, व्याकरण तथा अभिव्यक्ति संबंधी त्रुटियों को वर्गीकृत करके क्रमायोजित रूप से उनके शुद्ध रूप का प्रचुर अभ्यास देना चाहिए।

अहिन्दी प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर दिया जा रहा हिन्दी शिक्षण कितना प्रभावशाली है, इसका ज्ञान वांछित संभव नहीं है।

1.7 समस्या कथन –

कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों का हिन्दीभाषा अधिगम उपलब्धि में होनेवाली त्रुटियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

1.8 शोध की आवश्यकता –

भाषा संबंधी ज्ञान में परिपक्व बालक जीवन में अपेक्षाकृत अधिक सफल होता है, क्योंकि सशक्त अभिव्यक्ति, शुद्धभाषिक व्यवहार, प्रसंगानुसार अर्थबोध की उसकी दक्षता जीवन में उसे प्रतिक्षण सफलता को बोध कराती है।

प्रस्तुत लघुशोध प्रबंध के माध्यम से हिन्दी भाषा अधिगम में होने वाली त्रुटियाँ का पता लगता है। अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चे कक्षा में उत्तीर्ण तो हो जाते है, किन्तु अगली कक्षा में वही त्रुटियाँ दोहराई जाती है। अतः इन त्रुटियों को उचित समय पर ढुँढ़ना आवश्यक होगा तथा उसमें योग्य सुधार करना आवश्यक होता है। बच्चों को यदि श्रृतलेखन दिया जाये तो वे कई प्रकार की त्रुटियाँ कर देते है। बच्चें उचित आरोह-अवरोह के साथ वाचन नहीं कर पाते हैं।

भाषा अधिगम उपलब्धि में होनेवाली लेखन त्रुटियों के निम्न कारण हो सकते हैं।

- छात्रों के अंदरभाषायी कौशल का विकास न हो पाना।
- मातृभाषा के प्रभाव के कारण
- छात्रों को योग्य मार्गदर्शन न मिल पाया।

हिन्दी भाषा के अधिगम में होनेवाली त्रुटियों को ढुँढ़ने का प्रयास किया जायेगा, कारण विद्यार्थियों को भविष्य में हिन्दी भाषा के ज्ञान में कई कठिनाईयों का सामना न करना पड़े और

इस बात का बोध हो सकेगा, कि हम कहाँ खड़े हैं? अभी तक किए प्रयत्नों में कहाँ दोष हैं?

1.9 अध्ययन के उद्देश्य –

- भाषा संबंधी त्रुटियों का हिन्दीभाषा अधिगम उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।
- भाषा संबंधी व्यावहारिक व्याकरण की त्रुटियों का हिन्दीभाषा अधिगम उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।
- भाषा संबंधी पत्रलेखन की त्रुटियों का हिन्दीभाषा अधिगम उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।
- भाषा संबंधी निबंध लेखन की त्रुटियों का हिन्दीभाषा अधिगम उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।
- भाषा संबंधी अनुवाद लेखन की त्रुटियों का हिन्दीभाषा अधिगम उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।
- बालक एवं बालिकाओं का हिन्दीभाषा अधिगम में होने वाली त्रुटियों का अन्तरज्ञात करना।
- शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों का हिन्दीभाषा अधिगम में होने वाली त्रुटियों का अंतरज्ञात करना।
- हिन्दीभाषा अधिगम में होनेवाली त्रुटियों की सूची बनाना।

1.10 अध्ययन की परिकल्पना–

1 भाषा संबंधी त्रुटियों का हिन्दीभाषा अधिगम उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

2 भाषा संबंधी व्यावहारिक व्याकरण की त्रुटियों का हिन्दीभाषा अधिगम उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

3 भाषा संबंधी पत्रलेखन की त्रुटियों का हिन्दीभाषा अधिगम उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

4 भाषा संबंधी निबंधलेखन की त्रुटियों का हिन्दीभाषा उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

5 भाषा संबंधी अनुवाद लेखन की त्रुटियों का हिन्दीभाषा अधिगम उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

6 बालक एवं बालिकाओं का हिन्दीभाषा अधिगम में होनेवाली त्रुटियों का सार्थक अन्तर नहीं पाया जायेगा।

7 शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों का हिन्दीभाषा अधिगम में होनेवाली त्रुटियों का सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

1.11 शब्दज्ञान–

विश्लेषण–

विश्लेषण से तात्पर्य सावधानीपूर्वक किया गया परीक्षण होगा। जिसमें किसी वस्तु को क्रमबद्ध रूप में समझने के लिए अध्ययन किया गया है।

'विश्लेषण' शब्द का उपयोग लेखन से संबंधित त्रुटियों को बताने के लिए किया गया है।

त्रुटियाँ–

इस शब्द का उपयोग कौशल में होने वाली अशुद्धियाँ के लिए किया गया है।

1.12 समस्या का सीमाकंन –

- यह अध्ययन नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों पर किया गया है।

- इस अध्ययन में महाराष्ट्र से जलगांव जिले के एंरडोल तहसील के माध्यमिक शालाओं को ही सम्मिलित किया गया हैं।
- इस अध्ययन में उपरोक्त 4 माध्यमिक शालाओं में से केवल 82 विद्यार्थियों को ही शामिल किया गया हैं।
- प्रस्तुत शोधकार्य में लेखन कौशल को लेकर कक्षा नौवी की हिन्दी भाषा पाठ्यपुस्तक में से व्यावहारिक व्याकरण, पत्रलेखन, निबंधलेखन, अनुवादलेखन, के आधार पर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।